संख्या-99/460/84-1-14-12 बजट/2013

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 23 जुलाई, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1175/सचि0स0से(356)-758/2014, दिनॉक 19 मई, 2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-7-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा संस्था में कार्यरत् कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 9,49,93,000/- के सापेक्ष प्रथम चार माह में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु रू0 3,16,50,000/-(तीन करोड सोलह लाख पचास हजार रूपये) की धनराशि शासनादेश संख्या-94/277/84-1-14-12 बजट/2013, दिनॉक 02-4-2014 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के आगामी माहों में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए बजट में प्राविधानित उक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 6,33,43,000/- (छः करोड तैतीस लाख तैतालिस हजार रूपये) मात्र श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- शासनादेश संख्या-94/277/84-1-14-12 बजट/2013, दिनॉक 02-4-2014 की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेगीं।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-04- उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनॉक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-99/460(1)/84-1-14-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/ द्वितीयउत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/ कलेक्ट्रेट परिसर, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7-उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप डेस्क इकाई/खाद्य तथा रसद अनुभाग-3
8-गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in